मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
<u>मंत्रालय, वल्लभ भवन</u>

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2006

क्रमांक एफ 1–4/2006/56 :– राज्य शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत निवेशकर्ताओं को शासकीय भूमि के आवंटन हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

1. नेस्कॉम द्वारा चिन्हित देश की 20 श्रेष्ठतम् साफ्टवेयर कंपनियों एवं 15 आई.टी.ई.एस. एवं बी.पी.ओ. कंपनियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाए। प्रथम आयें प्रथम पायें के सिद्धान्त पर आवेदक कंपनियों को शासकीय भूमि आवंटित की जाए।
2. शासकीय भूमि पर सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत देय छूट रूपये 25000/– प्रति रोजगार की कमी भूमि के मूल्य में से किए जाने पर दी गई छूट की राशि के बराबर बैंक गारंटी दो वर्ष के लिए आवेदक कंपनी से प्राप्त की जाए ।
3. अधोसंरचना विकासकर्ताओं को शासकीय भूमि का आवंटन विज्ञापन द्वारा प्रस्ताव बुलाये जाने के उपरान्त किया जाए । प्रत्येक प्रकरण में आवंटन 100 से 200 एकड़ के मध्य किया जाए। उत्कृष्ट अधोसंरचना का विकास कर चुकी कंपनियों को ही रूचि व्यक्त करने की पात्रता होगी । पात्रता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर मूल्यांकन किया जाए:–

- आवेदक कंपनी द्वारा आई.टी./आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. के लिए वर्ग फिट में विकसित अधोसंरचना।
- विकसित अधोसंरचना में उत्पन्न प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या ।
- नेस्कॉम द्वारा सूचीबद्ध श्रेष्ठतम् 20 साफ्टवेयर कंपनी एवं 15 आई.टी.ई.एस. एवं बी.पी.ओ. कंपनियों में से कितनी अधोसंरचना विकासकर्ता द्वारा विकसित पार्कों में कार्य कर रही है ।
- आवेदक कंपनी द्वारा अभी तक विकसित पार्क में कितनी फारच्यून 500 कंपनी (जिनका संबंध आई.टी./आई.टी.ई.एस./बी.पी.ओ. से है) कार्यरत है ।
- कंपनी का मूल्यांकन ।
- कंपनी का वार्षिक टर्न ओवर ।

उपरोक्त मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन उपरान्त उपलब्ध शासकीय भूमि के लिए योग्यतम् कंपनी का चयन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग